कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांकः 130 /उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार 1(1)/2019

दिनांकः 13 :अगस्त:2019

कार्यालय आदेश

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न रजिस्ट्री अनुभाग की बैठक दिनॉक 16-7-2019 में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि एक ही प्रकरण में एक से अधिक द्वितीय अपील/शिकायत आयोग में योजित की जा रही हैं, तथा आयोग के समक्ष योजित द्वितीय अपील/शिकायत स्वच्छ एवं पठनीय रूप में एवं तीन प्रतियों में प्रस्तुत नहीं की जाती हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि अपीलार्थी/शिकायतकर्तागण के द्वारा आयोग के समक्ष जो अपीलें योजित की जाती हैं वे मानक आकार के पेपर यथा ए4/लीगल साईज़ में नहीं होती हैं।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के प्रस्तर 7(2)(छ:) *में निहित प्रावधानानुसार आयोग के समक्ष योजित* प्रत्येक द्वितीय अपील/शिकायत के साथ इस बात का सत्यापन अपीलार्थी/शिकायतकर्ता द्वारा किया जाना आवश्यक है कि उसके द्वारा उसी प्रकरण में पूर्व में कोई द्वितीय अपील/शिकायत आयोग के समक्ष योजित नहीं की गई है तथा आयोग को की गई द्वितीय अपील/शिकायत स्वच्छ एवं पठनीय रूप में एवं तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग के समक्ष योजित द्वितीय अपीलें/शिकायतें मानक आकार के पेपर यथा ए4/लीगल साईज़ में होनी चाहिए। अन्यथा ऐसी द्वितीय अपीलों/शिकायतों को त्रुटि सुधार हेतु वापस किया जाना उचित है।

अतएव आयोग के रजिस्ट्री अनुभाग के डाक संवीक्षा पटल को निर्देशित किया जाता है कि ऊपरिवर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग में योजित द्वितीय अपीलों/शिकायतों की संवीक्षा सुनिश्चित करें एवं उक्त त्रुटियॉ पाये जाने पर उन्हें संबंधित अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को वापस करने की कार्यवाही करें।

यह आदेश मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
प्रभारी रजिस्ट्रार

1) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि वह मा0 मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2) प्रतिलिपि निजी सचिव, समस्त मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
3) संयुक्त रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग। — 14/8/19
4) संबंधित कर्मचारीगण को अनुपालनार्थ।

(प्रशान्त बिलगैयॉ)
प्रभारी रजिस्ट्रार